

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज0)।

प्रशिक्षण शाखा

क्र0सं0		धारा 4(1)(ख) के तहत
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी प्रशिक्षण शाखा
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (इन्डोर) – समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ख) शाखाधिकारी – नियमानुसार प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन। (ग) सहायक संकाय सदस्य – (05) शाखा से संबंधित समस्त प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक(इन्डोर) के एवं समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	प्रशिक्षण कार्यों के निर्वहन के मानदण्डों को नियमानुसार ध्यान में रखते हुए तथा दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार प्रशिक्षण शाखा के समस्त कार्यों को करवाना।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	RSR, RPR- Other Circular Issued by PHQ ➤ प्रशिक्षण निदेशालय, निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन। ➤ समय समय पर जारी अन्य विनियम।
6.	श्रेणियों का विवरण।	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेजों का संधारण ● गेस्ट फौकल्टी की सूची ● पाठ्यक्रमों की सूची ● प्रशिक्षण रिकॉर्ड ● फीड बैक रिकॉर्ड ● अन्य रिकार्ड
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	प्रशिक्षण कार्य को और अधिक उच्च स्तर का बनाने के लिए अन्य एजेन्सियों से सम्पर्क करना— जैसे पुलिस मुख्यालय, बीपीआरएण्डडी, एनएचआरसी, एसएचआरसी इत्यादि एजेन्सियों से पत्राचार करना।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण।	प्रशिक्षण के संचालन में समय-समय पर अन्य संस्थाओं से जानकारी प्राप्त कर राजस्थान पुलिस अकादमी के उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उनके आदेशानुसार परामर्श करवाना व लागू करवाना।
9.	अधिकारियों/ कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (इन्डोर), फोन नं0 0141-2302131 पी.बी.एक्स. नं0 -505।
10.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लागू नहीं।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।

12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट पर।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टियां।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय पर तत्सम्बन्धी सूचना को प्रकाशित किया जाता है।